सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया था। इस योजनांतर्गत 10 वर्ष के आयु तक की बालिकाओं का खाता पोस्ट ऑफिस तथा बैंकों (जिसमे पी.पी.एफ. की सुविधा हो) के माध्यम से खोला जा सकता है। योजनांतर्गत प्रथम जमा 1000 रु. किया जा सकता है तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम 1000 रु. जमा किया जाना चाहिए। उक्त योजनांतर्गत राशि जमा करने की अवधि 14 वर्ष है, तथा परिपक्वता की अवधि 21 वर्ष है। इस योजना मे 9.2 प्रतिशत ब्याज दर मिलता है जो कि अन्य योजनाओ की तुलना मे लगभग 0.5 से 0.8 प्रतिशत अधिक है। इस योजनांतर्गत बालिकाओं के 18 वर्ष की उम्र मे राशि 50 प्रतिशत तक निकाली जा सकती है तथा उक्त योजनांतर्गत बालिकाओं के शादी होने पर खाता को नियत अवधि से पूर्व बंद भी किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजनांतर्गत डाक विभाग द्वारा राज्य स्तर पर 5.78 लाख खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। लक्षित समूह 0–10 वर्ष तक की बालिकाओ का होने के कारण महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से 0–6 वर्ष तक की बालिकाओ को आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से व शेष आयु वर्ग को महिला स्वसहायता समूहों, किशोर बालिका समूहों के माध्यम से टार्गेट किया जा सकता है।